उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-133/2018/2592/92-2-2018-07(जॉच)/2012,
लखनऊ :: दिनांक:: 09 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-कानपुर नगर के डा0 अम्बेडकर ग्रामों (डा0 अम्बेडकर ग्राम महीपालपुर, ब्रम्हौरी, एंव डा0 अम्बेडकर ग्राम धरमंगतपुर) में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा सर्म्पक मार्गों के निर्माण कार्यों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति तथा लीन कंक्रीट मे प्राविधानित सीमेन्ट का उपयोग न करना, जिसके कारण बेस् कंक्रीट कमजोर पाये जाने, शिथिल पर्यवेक्षण एवं गुणवतता नियंत्रित न करने हेतु प्रथम द्रष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1065/92-2-2018-07(जांच)/2012, दिनांक 01.05.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासनिक एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियन्ता(पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुए मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल फैजाबाद को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-133/2018/2592(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में निर्धारित समयावधि मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल फैजाबाद को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- श्री राजेश कुमार, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति प्रखण्ड फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।